

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक:- f 1 2 relief/Samvat 2077/ 50-75 682

दिनांक : 21.7.2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2077/JHU/0009804

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2077 के प्रभावित कृषकों हेतु आदान अनुदान बाबत।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4690-93 दिनांक 26.03.2021 एवं 8585-89 दिनांक 25.06.2021 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2077 (रबी -2020-21) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
पिलानी (पूर्व तहसील सुरजगढ़)	5	Other Than SMF	50%-75%	135000
योग	5			135000

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-[02]- 12 बजट मद पर भारित होगी।

जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार.....
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

Signature valid



Digitally signed by ARUN GARG
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.07.21 12:26:42 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (सहा0) झुंझुनू

(E mail- Coll.reliefijn@gmail.com, Phone No – 01592232237)

क्रमांक:- एफ 1(5)(17) सहा0 / 2077 / 1166

दिनांक:- 16.12.2025

निमित्त :-

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस.डी.आर.एफ. मद में डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर बजट आवंटन की प्रेषित बजट मांग के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभाग का पत्र दिनांक 03.04.2025 एवं 14.07.2025 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक 13953-65 दिनांक 26.10.2021 द्वारा रबी सम्वत् 2077 में अभावग्रस्त ग्रामों के प्रभावित पात्र किसानों को कृषि आदान अनुदान के भुगतान हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। जिला झुंझुनू में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में विभाग को बजट मांग प्रेषित करने पर विभाग से प्राप्त बजट अनुसार बिल कोष कार्यालय को प्रेषित करने के बाद कुछ काश्तकारों के बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने/वित्त विभाग स्तर से बिल ई.सी.एस. नहीं होने इत्यादि कारणों से कृषकों का भुगतान लम्बित रहा है। जिनकी विभागीय पत्र दिनांक 03.04.2025 के निर्देशानुसार सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

मद/गतिविधि के लिये सम्वत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की	
	संख्या	राशि (रु में)	संख्या	राशि (रु में)	संख्या	राशि (रु में)
प्रपत्र 7 डी के अनुसार - 12726 डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड करने पर वास्तविक - 7571	7175	80287791	396	3822150	0	0

देरी का कारण :- रबी सम्वत् 2077 में प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु विगत वर्षों में बिल तैयार कर कोष कार्यालय को प्रेषित किये गये थे। परन्तु कुछ काश्तकारों का भुगतान बैंक खाता इत्यादि के कारण निरस्त होने तथा कुछ बिल कोष कार्यालय के पास होने के बाद वित्त विभाग स्तर से ई.सी.एस. नहीं होने के कारण भुगतान लम्बित रहा है।

विभागीय पत्र दिनांक 14.07.2025 के क्रम में निवेदन है कि अवशेष 396 किसानों का वेरिफिकेशन प्राप्त किया जाकर काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु बजट मांग प्रेषित की जा रही है। अतः बजट आवंटित करवाने का श्रम करावें, ताकि रबी सम्वत् 2077 में प्रभावित समस्त काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान किया जा सकें।

अति. जिला कलेक्टर, झुंझुनू